

प्रेषक,

प्रभात मित्तल,
सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13(विविध)

लखनऊ, दिनांक 07 जनवरी, 2015

विषय : शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-419/बीस-13-वि-2014-4(विविध)/13, दिनांक 18 फरवरी, 2014 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने की व्यवस्था को दिनांक 17 फरवरी, 2014 से उत्तर प्रदेश सचिवालय के सभी विभागों में लागू किया गया है।

2. उक्त व्यवस्थान्तर्गत कार्यालय-जाप संख्या-1102/बीस-13-वि-2014-4(विविध)/13-टीसी-3, दिनांक 07 मई, 2014 (छायाप्रति संलग्न) में निर्धारित विषय बिन्दुओं से आच्छादित जारी होने वाली सभी आदेशों को ऑनलाइन शासनादेश की वेबसाइट "http://shasanadesh.up.nic.in" पर जारी व अपलोड किया जाना आवश्यक है। निर्धारित व्यवस्थानुसार उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 07 मई, 2014 से आच्छादित किसी भी शासनादेश को तभी वैध माना जाएगा जब वह इस वेबसाइट पर उपलब्ध हो।

3. अवगत कराना है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्य योजना आयोग को भी प्रश्नगत ऑनलाइन शासनादेश की योजना में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त लिए गए निर्णयानुसार राज्य योजना आयोग के अधीन अनुभागों से कार्यालय-जाप दिनांक 07 मई, 2014 में निर्धारित विषय बिन्दुओं से सम्बन्धित जारी होने वाली सभी आदेश वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी व अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(प्रभात मित्तल)
सचिव।

संख्या-2/2015/74 /बीस-13-वि-2015-4(विविध)/13-टी.सी.-1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रतिलिपि समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि राज्य योजना आयोग को भी ऑनलाइन शासनादेश की व्यवस्था में सम्मिलित करने एवं आयोग के अनुभाग अधिकारियों को यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. तकनीकी सलाहकार, सचिवालय प्रशासन विभाग को प्राथमिकता पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. सिंह)
अनुसचिव।